कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक :प. 23 (01) आब/लेखा/2009/284 दिनांक :10 .02.2009

डोडा पोस्त दुकानों के अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन आमंत्रण की सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2009–10 हेतु राज्य में डोडा पोस्त की थोक एवं खुदरा दुकानों हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किये जाते है ।

2. डोडा पोस्त दुकान जहां अवस्थित की जा सकेगी उसका, उसकी अनुज्ञा राशि एवं आवेदन के संदर्भ में अन्य शर्तो का विवरण संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध रहेगा । यह सूचना विभाग की वेबसाईट http://www.rajexcise.org पर भी उपलब्ध रहेगी ।

3. आवेदन पत्र स्टेशनरी चार्ज रू. 30/– (जो कि आवेदन शुल्क के अतिरिक्त है) जमा करा कर संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र के साथ उस जिले की दुकानों की मय निर्धारित अनुज्ञा राशि सूचना एवं आवेदन के संदर्भ में अन्य शर्तो का विवरण भी उपलब्ध करवाया जायेगा ।

4. आवेदन शुल्क दुकान जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है, उसकी अनुज्ञा राशि का एक प्रतिशत होगा, जो वापसी योग्य नहीं (non refundable) होगा।

5. जिस दुकान के लिये आवेदन किया जा रहा है उसकी अनुज्ञा राशि की 10 प्रतिशत राशि का संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में एक डिमान्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर बतौर अर्नेस्टमनी संलग्न करना आवश्यक होगा जो आवेदक के पक्ष में स्वीकृति जारी होने पर धरोहर राशि पेटे समायोजित कर लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त आवेदन के साथ आवेदक की पहचान स्वरूप राशनकार्ड/ ड्राईविंग लाईसेन्स / आयकर विभाग द्वारा जारी पेन कार्ड / निर्वाचन विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र इत्यादि में से किसी एक दस्तावेज की फोटो प्रति संलग्न करनी होगी ।

6. सफल आवेदक को अनुज्ञा राशि की एक तिहाई राशि धरोहर राशि के रूप में निर्धारित अवधि में जमा करवानी होगी तथा अनुज्ञा राशि की 10 प्रतिशत के बराबर राशि की बैंक गारंटी निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करनी होगी।

7. सम्पूर्ण राजस्थान में डोडा पोस्त उत्पादन क्षेत्र में 12 थोक तथा खपत क्षेत्र में 24 थोक एवं 24 खुदरा दुकान समूह निर्धारित किये गये हैं। उत्पादन क्षेत्र के 12 थोक अनुज्ञापत्रों की लॉटरी द्वितीय चरण में दिनांक 13.03.2009 को आबकारी मुख्यालय उदयपुर पर आयोजित की जायेगी जिसमें खपत क्षेत्र के 24 थोक दुकानात के सफल आवेदक ही भाग ले सकेगें। इन 12 समूहों में से किसी एक समूह की लॉटरी मे सफल होने पर ऐसे आवेदक का नाम शेष समूह की लॉटरी में सफल घोषित नही किया जायेगा। आवेदन शुल्क की राशि किसी भी स्थिति में वापसी योग्य नही होगी।

8. प्रथम चरण में खपत क्षेत्र की 24 थोक दुकानात एवं 24 खुदरा दुकानात समूह हेतु आवेदन संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 25.02.2009 को 3.00 बजे तक प्रस्तुत किये जा सकेगे । इसके बाद आवेदन स्वीकार नही किये जायेगें ।

9. किसी दुकान हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर सफल आवेदक का चयन लॉटरी प्रकिया द्वारा किया जायेगा। खपत क्षेत्र के थोक एंव खुदरा समूह की लॉटरी राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के सदस्यो के समक्ष दिनांक 26.02.2009 को प्रातः 11.00 बजे निकाली जायेगी। लॉटरी निकाले जाने के स्थान की जानकारी जिला कलेक्टर एवं जिला आबकारी अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर दि. 25.02.2009 से पूर्व उपलब्ध करवा दी जायेगी। उत्पादन क्षैत्र के 12 थोक समूहो की लॉटरी दिनांक 13.03.2009 को प्रातः 11.00 बजे आबकारी मुख्यालय उदयपुर में आयोजित की जावेगी। इन 12 समूहो के लिए आवेदन पत्र दिनांक 12.03.2009 को अपरान्ह 3.00 बजे तक आबकारी मुख्यालय उदयपुर में प्रस्तुत किये जा सकेगे।

10. जिन आवेदनपत्रों के साथ आवेदन शुल्क, निर्धारित अर्नेस्टमनी अथवा पहचान का प्रमाण संलग्न नही किया गया है उनको लॉटरी की प्रकिया में सम्मिलित नही किया जायेगा।

11. इस संबंध में अन्य किसी प्रकार की जानकारी हेतु संबंधित जिला आबकारी अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है ।

(सी. पी. व्यास)
आबकारी आयुक्त,
राजस्थान,उदयपुर